# अपने अधिकार जानें

## अशक्त व्यक्तियों के अधिकार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

# अशक्त व्यक्तियों के अधिकार

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग,

नई दिल्ली–110001

# अपने अधिकार जानें श्रृंखला

## अशक्त व्यक्तियों के अधिकार

इस प्रकाशन का आशय, मूल मानव अधिकारों को बेहतर रूप से समझने में पाठकों की सहायता करना है।

© 2013 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

**प्रकाशक** : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग,
नई दिल्ली–110001

**प्रिंटर्स** : डॉलफिन प्रिंटों–ग्राफिक्स
011–23593541 / 42
www.dolphinprintographics.com

# अनुसूचिका


| | | पृष्ठ सं0 |
|---|---|---|
| 1. | प्रस्तावना | 1 |
| 2. | संरचना | 2 |
| 3. | भाग –I – परिचय | 3 |
| 4. | भाग – II – अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संदर्भ में सांविधिक एवं विधिक व्यवस्था | 5 |
| 5. | भाग –III – अशक्तता विषय पर अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेज/शर्तें/मानक | 18 |
| 6. | भाग –IV – आंकड़े तथा कुछ अन्य संबंधित सूचना | 21 |
| 7. | भाग –V – भारत में अशक्तता अधिकार आंदोलन – संक्षिप्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य | 28 |
| 8. | भाग – VI – अशक्तता विषाय पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्य हेतु निर्देश की एक झलक | 30 |

## प्रस्तावना

यह छोटी, सुलभ पुस्तिका मुख्यतः इसके आंरभिक पक्षकारों अर्थात् अशक्ततायुक्त व्यक्तियों, उनके अभिभावकों/देख–रेख करने वालों, मानव अधिकार/सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा अशक्तता क्षेत्र में कार्य करने वालों तथा व्यावसायिकों, के लिए तैयार की गई है। इसमें अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में सरल भाषा में कुछ आधारभूत सूचनाएं दी गई हैं अतः इसका उद्देश्य संदर्भ दस्तावेज के रूप में सहायता करना है, जो अशक्त व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर अधिकारों की झलक दिखलाती है।

अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी इस संशोधित/परिवर्तित अंक का प्रकाशन संबंधित पक्षकारों को ताजा घटनाक्रमों विशेषतः अशक्त व्यक्तियों के संबंध में, वास्तविक अधिकारों के विषय में अद्यतन जानकारी से रूबरू कराने के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों का एक हिस्सा है।

## संरचना

इस पुस्तिका के सात भाग हैं :–

भाग – **I** – परिचय देता है;

भाग – **II** भारत में अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संदर्भ में सांविधिक एवं विधिक विषय के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है।

भाग – **III** अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित नरम कानून तथा सख्त कानून दस्तावेज़ नामक अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेजों से संबंधित है;

भाग – **IV** अशक्तता के विषय में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता है तथा उससे संबंधित कुछ सूचनाएं भी देता है;

भाग – **V** भारत में अशक्तता अधिकार आंदोलन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की संक्षेप में चर्चा करता है;

भाग – **VI** अशक्तता के विषय में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेपों तथा भविष्य हेतु निर्देशों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।

**भाग – I :**

**परिचय**

यह कहना गलत नहीं होगा कि अशक्त व्यक्ति बृहत् मानव परिवार का एक हिस्सा है। यह स्पष्ट करता है कि क्यों वे भी समाज के अन्य वर्गों की तरह ही सभी मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता के समान रूप से हकदार हैं।

दुर्भाग्यवश, हालांकि, अशक्त व्यक्तियों को नियमित रूप से हर प्रकार के भेदभाव अधिकारों की मनाही और वंचन का शिकार होना पड़ता है, जिसका परिणाम होता है कि वे बहुधा हाशिये पर और अलग–थलग रहते हैं तथा संबंधित अदृश्यता, अशक्तिकरण और अव्यवस्थित स्थिति में जीने के लिए विवश होते हैं। विश्व में छः सौ मिलियन से भी अधिक अशक्त व्यक्ति रहते हैं। इनमें से दो–तिहाई विकासशील देशों में रहते हैं।

अशक्त व्यक्तियों की दक्षता, योग्यता, समर्थता और योगदान के संबंध में समूचे विश्व में होने वाले अनुभव से निम्नलिखित बातों पर सहमत हैं :–

क. कि अशक्तता केवल एक चिकित्सीय अथवा कल्याण का विषय नहीं है; न ही दान का विषय है; बल्कि यह विकास एवं मानव अधिकारों का विषय है।

ख. कि अशक्तता गरीबी का कारण तथा उसका परिणाम दोनों है।

ग. कि एक कमी (शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा संवेदी) जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से असमर्थता ही हो।

घ. कि अशक्त व्यक्ति को उचित शिक्षा एंव प्रशिक्षण देने पर वे समाज के प्रथम श्रेणी के एक उपयोगी, सहयोगात्मक एवं उत्पादक नागरिक की भांति अन्य व्यक्तियों के समान सम्मान एवं प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने में सक्षम होते हैं।

ड़. कि अशक्त व्यक्ति अपने लिए सोच एवं बोल सकते हैं और कार्य करते है तथा सभी संबंधितों का यह दायित्व है कि वे इस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण एंव प्रभावी समावेश एवं भागीदारी सुनिश्चित करें।

अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अंगीकरण से अब तक अशक्तता के अर्थ में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। कथित अभिसमय (जिस पर इस पुस्तिका में कहीं और कुछ हद तक चर्चा की गई है) मौजूदा भारतीय कानून, जो अशक्तता को साफतौर पर चिकित्सीय पद्धति के रूप

में व्याख्या करता है, से भिन्न अशक्तता की मानव अधिकार आधारित व्याख्या का परिचय देने का प्रयत्न करता है।

अशक्तता की मानव अधिकार आधारित सोच अथवा व्याख्या इस विचार को परिपुष्ट करती है कि अशक्तता एक ऐसी दशा है जो सामाजिक बाधाओं के साथ दुर्बलता की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया की रोकथाम की जा सकती है यदि अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से समाज में उनकी भागीदारी हो। अतः यह पूर्णतः स्पष्ट है कि निर्णायक विश्लेषण में अशक्तता एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति अपनी अक्षमता तथा विभिन्न बाधाओं के पारस्परिक क्रिया के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ समाज में समान रूप से भागीदारी करने में असमर्थ होता है। यही कारण है कि कथित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय जो अंतराष्ट्रीय स्तर पर अशक्तता विषयक आधुनिकतम तथा एक मात्र कठोर विधि दस्तावेज है, अशक्तता की आदेशात्मक अथवा प्रतिबंधात्मक परिभाषा के बजाय समग्र परिभाषा देता है। यह बताता है कि अशक्त व्यक्तियों में वे सभी शामिल हैं जिन्हें दीर्घावधि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदी अक्षमता है, जो विभिन्न बाधाओं की पारस्परिक क्रिया के कारण समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ समानता के आधार पर उनकी भागीदारी को अवरोधित करती है।

अशक्त व्यक्ति को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उनमें मुख्यतः हैं – व्यावहारिक, पर्यावरण जन्य, संस्थागत तथा सूचनाप्रद।

जैसा कि उपर उल्लिखित है, अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 (पी डब्ल्यू डी अधिनियम) चिकित्सीय मॉडल को अंगीकृत करता है तथा अशक्तता को इस प्रकार परिभाषित करता है :–

(i) दृष्टिहीनता

(ii) अल्प दृष्टि

(iii) कोढ़ – अभिसाधित

(iv) श्रव्य दुर्बलता

(v) गति संबंधी अशक्तता

(vi) मानसिक मंदता

(vii) मानसिक बीमारी

## भाग II :

## अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संदर्भ में सांविधिक एवं विधिक झलक

### I. भारत का संविधान

यह सामान्य जानकारी है कि अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून समानता, गरिमा, स्वायत्तता और स्वतंत्रता/सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत के संविधान में भी इन मूल्यों को आत्मसात् किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, "...अपने सभी नागरिकों के लिए; न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक; विचार, अभिव्यक्ति, यकीन, आस्था एवं पूजा करने की स्वतंत्रता; हैसियत और अवसरों की समानता सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए उनके बीच सभी बंधुता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देना।"

**समता**

**अनुच्छेद 14**

भारत का संविधान समता के अधिकार के अंतर्गत अपने सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण को गारंटित करता है।

**अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16**

ये उपबंध "धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी" आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करते हैं।

**भेदभाव**

अशक्तता के आधार पर भेदभाव को औपचारिक रूप से मान्यता हाल ही की एक घटना है। 20 वर्षों पहले बनाए गए कानूनों में सामान्यतः भेदभाव के प्रतिबंधित शीर्षक की सूची में अशक्तता को शामिल नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए, हालांकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 धर्म, वर्ण, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर रोजगार तथा जनसुविधाओं की सुगमता के मामले में भेदभाव को निषिद्ध करता है, परन्तु अशक्तता के विषय में यह मौन है। वास्तव में 1995 तक सेवा नियमों में उच्च पदों की सेवा में अशक्त व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक थी। इस नियम में नियोक्ता को जनहित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर करने का प्राधिकार दिया गया था। बहुधा उन कर्मचारियों को, जो सेवा काल के दौरान अशक्त हो जाते थे, या तो जबरन सेवा से हटा दिया जाता था अथवा उनकी पदावन्नति की जाती थी। उनकी जीविका वृद्धि के अवसरों को हमेशा के लिए अवरूद्ध कर दिया जाता था।

यहां तक कि अशक्तता–आधारित भेदभाव को औपचारिक मान्यता मिलने की अनुपस्थिति में भी भारतीय न्यायपालिका भेदभाव मूलक नियमों को रद्द करने में आगे रही। उदाहरण के लिए, सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु शारीरिक स्वस्थता मानक निर्धारित करने वाले नियम, उम्मीदवारों को उनकी अशक्तता के कारण अयोग्य करार देते थे। नंद कुमार नारायण राव गोदमरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (1995 6 एस सी सी 720) में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि वर्णान्धता के कारण जिस उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया गया था, उसे 35 पदों में से 5 पदों को जिसमें सही दृष्टि की आवश्यकता हो, के अतिरिक्त कृषि वर्ग II सेवा के किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

*विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में अब अतिरिक्त विधिक सुरक्षोपाय उपलब्ध कराए गए हैं।*

अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 में "अभेदभाव" शीर्षक से एक विशिष्ट अध्याय है। धारा 45, 46 और 47 भेदभाव के मामलों को त्वरित एवं प्रभावी तरीके से निपटान हेतु कासी और न्यायिक निकायों को सक्षम करता है। उदाहरण के लिए राजबीर सिंह बनाम डी टी सी (97 2002 डी एल टी 19) में दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को निर्देश दिया था कि "याचिकाकर्त्ता को सेवा में वापस लें तथा उसकी सेवा समाप्त किए जाने पर प्रतिवादी द्वारा उसके वेतन का भुगतान रोके जाने की तिथि से उसे वेतन का भुगतान करे"। उसे पिछले पूरे वेतन और संगत लाभों सहित पुनः बहाल किया गया था।

## राज्य का दायित्व

भारत के संविधान में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य अपने सुविधावंचित नागरिकों के प्रति सकारात्मक भूमिका निभाएगा। अनुच्छेद 41 में यह आदेश दिया गया है, "राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंतर्गत बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अशक्तता के मामलों में कार्य, शिक्षा तथा लोक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु कारगर प्रावधान करेगा। परंतु भारत में अशक्तता के प्रति दृष्टिकोण खैरात की भावना से प्रेरित रहा है और उसे एक व्यक्तिगत मुद्दा समझा जाता रहा है। यहां तक कि स्वतंत्र भारत की सरकारें भी अशक्त व्यक्तियों के शिक्षा, कार्य, आश्रय और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पूणतः खैराती गैर–सरकारी संगठनों पर निर्भर रहती है। इसके परिणामस्वरूप विकास की पूरी प्रक्रिया से अशक्त व्यक्ति बाहर रह जाते हैं।"

अशक्त व्यक्तियों के एक भिन्न स्व–समर्थित आंदोलन, जो 1970 के दौरान प्रारंभ हुआ था, में मानव अधिकारों के सरंक्षण तथा उसकी मान्यता के लिए अभियान

चलाया था। इसने सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों पर विशेष जोर देते हुए अधिकार आधारित दृष्टिकोण वाले एक व्यापक कानून बनाने का सर्मथन किया। सरकार ने 1980 में इस प्रकार के कानून की आवश्यकता को स्वीकृति दी। चूंकि अशक्तता संबंधी विधायी शक्ति को राज्य सूची में रखा गया था, इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। तथापि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को शक्तियों के संघीय वितरण की अवहेलना करने तथा विदेशी शक्ति या किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ की गई संधि को कार्यान्वित करने का अधिकार प्रदान किया गया है भले ही कानून का मामला राज्य की सूची से संबंधित हो। एशिया एवं प्रशान्त क्षेत्र में अशक्त व्यक्तियों के समानता एवं पूर्ण सहभागिता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ इस कानून को 1995 में संसद द्वारा बनाया गया।

## 2. न्यायिक हस्तक्षेप

इंद्र साहनी बनाम भारत सरकार (1992 पूरक (3) एस सी सी) में शीर्ष न्यायालय ने उन अशक्त व्यक्तियों के आरक्षण के संबंध में विधिकता की जांच की, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था। न्यायालय ने इंगित किया था कि "... अधिकारों की औपचारिक घोषणा मात्र से असमानों को समान नहीं बनाया जा सकता। सभी व्यक्तियों को एक–दूसरे से समान क्षेत्र में प्रतियोगिता करने के लिए यह आवश्यक है कि वंचितो तथा विकलांगों को सुविधा देने के लिए सकारात्मक उपाय किए जाएं ताकि उन्हें भाग्यशालियों की बराबरी में लाया जा सके। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) निस्संदेह रूप से उनके द्वारा गारंटित समानता को साकार करने हेतु वंचितों के हित में इस प्रकार के सकारात्मक उपायों की उनके द्वारा स्वीकृति देता है।"

डॉ0 जगदीश सरन एवं अन्य बनाम भारत सरकार (1980 2 एस सी सी 768) में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 15 (3) और (4) के अतिरिक्त जहां अशक्त व्यक्तियों को उनकी अशक्तता से उबरने के सामान्य हित और व्यक्तिगत गुण के सहारे बड़े लक्ष्य हेतु विशेष उपबंधों को बनाया गया है, समानता का अपमान अथवा उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

## 3. अशक्तता संबंधी विशिष्ट विधायन

### (i) अशक्तता अधिनियम, 1995 – अशक्तता आंदोलन की एक ऐतिहासिक उपलब्धि

अशक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के उद्देश्य हैं – अशक्त व्यक्तियों के लिए समानता तथा पूर्ण भागीदारी को सवंर्द्धित एवं सुनिश्चित करना तथा

- उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना।

अधिनियम में उपरोक्त परिचय में उल्लिखित 7 अशक्ताएं शामिल हैं। वर्गीकरण के लिए अपनाया गया मानदंड चिकित्सीय है तथा अशक्तता के सामाजिक बोध पर आधारित नहीं है।

अशक्तता अधिनियम अधिकारों पर अधिक केन्द्रित है। अधिनियम के तात्विक उपबंधों का संबंध अशक्तता की रोकथाम एवं आरंभिक पहचान, अशक्त व्यक्तियों हेतु शिक्षा, रोजगार, सकारात्मक कार्रवाई, अभेदभाव/बाधा मुक्त पहुंच, अनुसंधान एवं मानव शक्ति का विकास तथा गंभीर रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु संस्थानों से है।

अधिनियम में परिकल्पित प्रवर्त्तन यंत्रावली में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय समन्वय समिति तथा राज्य स्तर पर राज्य समन्वय समिति शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य आयुक्त (अशक्ततायुक्त व्यक्ति) तथा राज्य स्तर पर आयुक्त (अशक्ततायुक्त व्यक्ति) भी शामिल हैं।

केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय समन्वय समितियों को मुख्यतः अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में, अशक्तता के संबंध में व्यापक नीति का निरंतर मूल्यांकन सुलभ कराने का कार्य सौंपा गया है।

मुख्य आयुक्त और आयुक्त (अशक्ततायुक्त व्यक्ति) जैसा भी मामला हो, को प्रारंभिक रूप से विभिन्न सरकारी विभागों को आबंटित किए गए अशक्तता संबंधी निधि के अदायगी और उपयोग की मॉनीटरिंग तथा अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के हनन के मामलों पर संज्ञान लेने का कार्य भी सौंपा गया है।

**अशक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 में कुछ मुख्य उपबंध**

| क्रम सं0 | विषयक क्षेत्र | अधिनियम की प्रासंगिक धारा |
|---|---|---|
| **क** | **शिक्षा** | |
| 1. | 18 वर्ष की आयु तक के अशक्ततायुक्त प्रत्येक बच्चे के लिए उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा हेतु उपबंध। | धारा 26 |
| 2. | सरकारी तथा/अथवा सरकार से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में दाखिले हेतु कम–से–कम 3% सीटों के आरक्षण हेतु उपबंध। | धारा 39 |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | सरकार अशक्तायुक्त बच्चों के लिए परिवहन सुविधाएं, स्कूलों तक बाधा मुक्त पहुंच, वर्दी की आपूर्ति, किताबे, अन्य सामग्री, वजीफा आदि हेतु प्रावधानों सहित व्यापक शिक्षा योजनाएं तैयार करे। | धारा 30 |
| 4. | दृष्टिहीन अथवा अल्प दृष्टि वाले छात्रों के लिए सेक्रेटरी हेतु प्रावधान | धारा 31 |
| **ख** | **रोजगार/सकारात्मक कार्रवाई/सामाजिक सुरक्षा** | |
| 1. | सरकारी संगठनों (जिसमें निजी क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं) (सेवा के सभी पदों में) में कम–से–कम 3% पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान | धारा 33 |
| 2. | सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में अशक्त व्यक्तियों के लिए कम–से–कम 3% कोटा आरक्षित करने हेतु प्रावधान | धारा 40 |
| 3. | निजी क्षेत्रों एवं प्राइवेट नियोक्ताओं को, यह सुनिश्चित करने के लिए उनके कार्यबल में कम–से–कम 5% अशक्त व्यक्ति शामिल हैं, प्रोत्साहन का प्रावधान | धारा 41 |
| 4. | अशक्त व्यक्तियों को सहायता एवं उपकरण उपलब्ध कराने की योजनाओं हेतु प्रावधान | धारा 42 |
| 5. | आवासीय उद्देश्यों; व्यवसाय स्थापित करने, विशेष मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना हेतु; विशेष स्कूलों की स्थापना करने, अनुसंधान केन्द्रों को स्थापित करने; अशक्ततायुक्त उद्योगपतियों द्वारा फैक्टरियों की स्थापना करने के लिए अशक्त व्यक्तियों को रियायती दरों पर भूमि आबंटन की वरीयता। | धारा 43 |
| 6. | अशक्तायुक्त उन व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान, जो विशेष रोजगार कार्यालय में अपने पंजीकरण के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी रोजगार का लाभ नहीं उठा पाए हैं। | धारा 68 |

| | | |
|---|---|---|
| **ग.** | **अभेदभाव तथा बाधा मुक्त पहुंच** | |
| 1. | प्रसाधनों सहित रेल कम्पार्टमेंटों, बसों, जलयानों तथा वायुयानों में इस प्रकार के विशेष उपाय अपनाने का प्रावधान, जिससे कि वे अशक्त व्यक्तियों के लिए सुगम हो सकें। | धारा 44 |
| 2. | लाल बत्तियों पर श्रवण–संबंधी सिग्नलों को लगाए जाने, व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वालों की आसानी से पहुंच हेतु पटरियों में कट और ढ़लान बनाए जाने; दृष्टिहीन अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु ज़ेबरा क्रासिंग की सतह को उकेरने; दृष्टिहीन अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु रेलवे प्लेटफॉर्मों के किनारों पर अंकित करना; उचित स्थानों पर चेतावनी के सिग्नल आदि को लगाए जाने सहित सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को बाधा मुक्त करने हेतु प्रावधान। | धारा 45 |
| 3. | एलिवेटरों अथवा लिफ्टों में रैम्प, ब्रेल संकेतों एवं श्रवण संबंधी सिग्नलों; अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य चिकित्सीय एवं पुनर्वास संस्थानों में रैम्प के प्रावधान सहित लोक भवनों, कार्य स्थलों तथा मनोरंजन केन्द्रों में बाधा मुक्त पहुंच हेतु प्रावधान | धारा 46 |
| 4. | उस कर्मचारी को पद से हटाने अथवा पदावनत करने पर रोक, जिसे अपने कार्य काल के दौरान अशक्तता हुई हो। | धारा 47 (1) |
| 5. | अशक्तता के आधार पर किसी व्यक्ति को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। | धारा 47 (2) |
| **घ.** | **शिकायतें** | |
| 1. | अशक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने के संबंध में मुख्य आयुक्त, अशक्तता के पास शिकायतें दर्ज करने हेतु प्रावधान | धारा 59 |
| 2. | अशक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने के संबंध में आयुक्त अशक्तता (राज्य स्तर) के पास शिकायतें दर्ज कराने हेतु प्रावधान | धारा 62 |

पी डब्ल्यू डी अधिनियम के आलोचक यह राय व्यक्त करते हैं कि अधिनियम अनेकों त्रुटियों से परिपूर्ण है क्योंकि इसे लगभग पूरे वाद–विवाद के बिना संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। उनका कहना है कि अधिनियम में पकड़ की कमी है और यह संबद्ध सरकार को बचाव का मार्ग उपलब्ध कराता है क्योंकि इसकी कुछ धाराएं, जिसमें अशक्त व्यक्तियों हेतु कुछ ठोस एवं मूर्त उपलब्ध किए गए हैं, के पहले यह खण्ड लगया गया है ...."उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं के भीतर...करेंगे"। खैर, भारतीय न्यायपालिका को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि इसने अपेक्षाकृत एक कमजोर अधिनियम को, अपनी भविष्य–दृष्ट्या निर्णय के माध्यम से इसे सशक्त अधिनियम में परिवर्तित कर दिया।

पिछली सदी के अंतिम वर्षों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्तमान पी डब्ल्यू डी अधिनियम में संशोधनों के सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया था। हालांकि कथित समिति ने एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, परन्तु सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की।

ऐसा लगता है कि वर्तमान पी डब्ल्यू डी अधिनियम को संशोधित करने अथवा इसके स्थान पर पूर्णतः नए अधिनियम को लाने की प्रक्रिया में अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के भारत द्वारा पुष्ट किए जाने के परिणामस्वरूप तेजी आई है। कथित प्रक्रिया के क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने सरकारी अधिदेश एफ सं0 16–38/2006 – डी डी. III दिनांक 30 अप्रैल 2010 के माध्यम से नए कानून का मसौदा तैयार करने तथा 31 अगस्त 2010 तक अथवा इससे पहले सरकार को निम्नांकित प्रस्तुत करने हेतु एक समिति का गठन किया :–

अ) नए कानून का मसौदा

ब) प्रस्तावित नए कानून के कार्यान्वयन के उद्देश्य हेतु वित्तीय संसाधनों की मांग संबंधी नोट।

स) नया मसौदा कानून तैयार करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

यह खुशी की बात है कि प्रारंभिक पक्षधारकों की बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु समिति को आगे विस्तृत किया गया।

## (ii) ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविध अशक्तता युक्त व्यक्ति अधिनियम 1999, के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास

अशक्तायुक्त व्यक्ति सजातीयों का एक समूह नहीं हैं। अशक्त व्यक्तियों में काफी विषमताएं तथा विविधताएं हैं।

अशक्त व्यक्तियों में कुछ समूह ऐसे हैं जों अन्यों से अधिक कमजोर हैं।

इसलिए ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्तियों और बहुविध अशक्तायुक्त अधिनियम 1999 के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास को लागू करने का उद्देश्य उन परिवारों की सामान्य मांगों को पूरा करना है जो अपने गंभीर रूप से अशक्त बच्चों हेतु विश्वसनीय प्रबंध चाहते है। अधिनियम के विशिष्ट उद्देश्यों में शामिल हैं :–

- अशक्त व्यक्तियों को, जिस समाज से वे संबंधित हैं उसके भीतर यथासंभव आत्मनिर्भर जहां तक संभव हो पूर्णतः उन्हीं के बीच तथा नजदीक रहने के लिए सक्षम एवं सशक्त करना।
- अशक्त व्यक्तियों के अभिभावकों अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखरेख एवं संरक्षण हेतु उपायों का संवर्द्धन करना।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अशक्त व्यक्तियों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता–आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत संगठनों को समर्थन देना।

### अधिनियम

- जिला मजिस्ट्रेट के साथ–साथ किसी पंजीकृत संगठन के एक प्रतिनिधि तथा अशक्ततायुक्त एक व्यक्ति को शामिल कर स्थानीय स्तरीय समिति के निर्माण का आदेश देता है। समिति को विधिक संरक्षण की व्यावहारिकता के विषय में निर्णय लेने के प्राधिकार से सम्पन्न किया गया है।
- उन तरीकों का प्रबंध करती है जिसमें विधिक संरक्षकों की नियुक्ति की जानी है।

- योग्यता की शर्तें, योग्य आवेदकों का आदेश, आवेदकों की अयोग्यता विनियमन 11–14 में दी गयी है।

- उन संरक्षकों के दायित्व दिए गए है, जिन्हें बच्चे की संपत्ति तथा उसके हाथों से उनके प्रबंध के विषय में एल एल सी को सावधिक विवरण प्रस्तुत करना होता है। इसी प्रकार समिति को भी विधिक संरक्षकों द्वारा इसे प्रस्तुत किए गए संपत्ति एवं परिसंपत्तियों, दावों एवं जिम्मेदारियों की फेहरिस्त एवं वार्षिक लेखों का रख–रखाव करना अपेक्षित है।

इस अधिनियम के समग्र पर्यवेक्षण का कार्य राष्ट्रीय ट्रस्ट बोर्ड को सौंपा गया है।

सरकार ने ट्रस्ट कोष में 100 करोड़ रुपयों का योगदान दिया। इससे अर्जित ब्याज का उपयोग अधिदेशात्मक गतिविधियों का खर्च चलाने में किया जाता है।

संक्षेप में, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम अशक्तता के इन चार नामित श्रेणियों से संबंधित उन व्यक्तियों हेतु संरक्षकों की नियुक्ति का प्रबंध करता है जिन्हें संरक्षकों की आवश्यकता है। संरक्षण का प्रावधान किसी व्यक्ति की बौद्धिक एवं जैविक आयु का उसकी बौद्धिक अशक्तता के साथ बेमेल को समाप्त करने में अनिवार्य रूप से कृत संकल्प है। इसके अलावा, कथित अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया राष्ट्रीय ट्रस्ट, अशक्ता की कथित चार श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों के लाभ हेतु कार्यान्वयन को कार्यान्वित अथवा समर्थित भी करता है।

स्पष्टतया, कथित अधिनियम को अशक्त व्यक्त्यिों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसे भारत ने अनुसमर्थित किया है, के साथ संगत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम में कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए। इस प्रकार के परिवर्तन विशेष रूप से कथित अभिसमय के अनुच्छेद 12, जो सभी अशक्त व्यक्तियों को विधि के समक्ष अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से मान्यता देता है तथा उनकी विधिक क्षमता को भी मान्यता देता है, को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। कथित अधिनिमय के अंतर्गत निर्मित राष्ट्रीय ट्रस्ट पहले ही एक संशोधन उप–समिति का गठन कर चुका है तथा नालसार, हैदराबाद एक व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से मसौदा विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा तैयार किए जाने वाले मसौदे को भविष्य में विचार हेतु सरकार को भेजा जाएगा।

## (iii) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, एक नागरिक अधिकार कानून है जो मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में मानकों के विनियमन पर केन्द्रित है। इसके अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों, व्यक्तियों की संपत्ति एवं प्रबंधन के संरक्षण हेतु इस अधिनियम के विद्यमान होने के बावजूद अब तक मानसिक रूप से बीमार कई व्यक्तियों को जेलों में रखा गया है।

मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में रहने वाले व्यक्तियों की दशा बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि जेलों और मानसिक संस्थानों, दोनों की ही दशाएं निर्धारित मानकों से बहुत अधिक निम्न स्तर की हैं। उच्चतम न्यायालय ने शीला बर्से बनाम भारत सरकार, एवं अन्य (1993 4 एस सी सी 204) में पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की दयनीय दशाओं का उल्लेख किया तथा यह कहा कि जेलों में गैर–आपराधिक मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को रखना गैर कानूनी तथा असंवैधानिक है। चन्दन कुमार बानिक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1995 पूरक 4 एस सी सी 505) में उच्चतम न्यायालय ने हुगली जिले में मनकुंदु में मानसिक अस्पताल में मानसिक रोगियों की अमानवीय दशाओं पर खेद प्रकट किया। न्यायालय ने मरीजों को लोहे की जंजीरों में बांधने की प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया तथा उनका दवाओं से उपचार करने का आदेश दिया।

राज्य एवं निजी प्राधिकारियों की उदासीनता के कारण इरवाड़ी में 26 कैदियों की दुखद मृत्यु हो गई थी, क्योंकि अगस्त 2001 में जिस रात आग लगी थी उस समय वे अपने बिस्तरों से बाँधे हुए थे। इस त्रासदी के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सभी मुख्य मंत्रियों को इस बात का उल्लेख करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का सुझाव दिया कि "सरकारी अथवा निजी संस्थानों में किसी भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को जंजीरों में बांधकर नहीं रखा जाता है।" मानव अधिकार संरक्षण अधिनिमय की धारा 12 के अंतर्गत आयोग को "कैदियों की जीवन यापन की दशाओं का अध्ययन करने तथा उस पर संस्तुतियाँ करने" हेतु सरकार द्वारा संचालित मानसिक अस्पतालों का दौरा करने का कार्य सौंपा गया है।

सरकार द्वारा संचालित 37 अस्पतालों एवं विभागों में सामान्यतः प्रचलित दशाओं का विश्लेषण करने हेतु वर्ष 1997 में **"मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में**

**गुणवत्ता आश्वासन"** विषय पर एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। इस प्रोजेक्ट से अनेक प्रारंभिक विषय उभरे थे :–

- विशेष रूप से संस्थानों में मानसिक रोगियों की चिंता एवं देख–रेख।
- मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए समुदाय में सेवाओं की व्यापक श्रृंखला की आवश्यकता।
- भारत में मानसिक अस्पताल अभी भी जेलों जैसे ढांचों, ऊंची दीवारों, वॉच टावरों, बाड़ लगे वार्डों तथा ताला बंद प्रकोष्ठों सहित, देखरेख के हिरासतीय मॉडल के आधार पर संचालित किए जाते हैं।
- भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 – हालांकि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 से लागू है, प्रवेश एवं रिहाई को अभी भी भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के पुराने एवं अमानवीय उपबंधों द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- अनिच्छा से प्रवेश का प्रतिशत बहुत अधिक है तथा किसी रिश्तेदार अथवा दोस्त द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रवेश की स्वीकृति देने वाले धारा 19 के उपबंधों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है।

वर्ष 1999 में उस रिपोर्ट के जारी होने के समय से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पूरे देश में अनेक मनोचिकित्सीय अस्पतालों की मॉनीटरिंग में सक्रियता से संलिप्त रहा है तथा यह सुनिश्चित कर रहा है कि इन संस्थानों में मानसिक रोगियों के अधिकारों का संरक्षण हो। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों एवं स्टॉफ की सक्रिय संलिप्तता के अलावा विशेष संपर्ककर्त्ताओं ने भी निरंतर कार्य किया है, राज्य सरकारों में मुख्य कार्यकर्त्ताओं के साथ नियमित वार्ता की है तथा लगातार परिवर्तन एवं सुधारों की जानकारी मांगी। आयोग ने वर्ष 2008 में **'मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख एवं मानव अधिकार'** नामक पुस्तक भी प्रकाशित की।

भारत द्वारा अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुसमर्थन से मानसिक स्वास्थ्य को संचालित करने वाले अथवा मनो–सामाजिक अशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले कानूनों में उचित परिवर्तन लाने हेतु एक अवसर भी प्राप्त होता है।

मनो–सामाजिक अशक्तताओं वाले अनेक कार्यकर्त्ता यह महसूस करते हैं कि वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य अधिनिमय को हटाया जाना चाहिए तथा मनो–सामाजिक अशक्ततायुक्त व्यक्तियों के अधिकारों का एक नया व्यापक कानून लागू किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि मानसिक स्वास्थ्य मात्र ऐसा विषय नहीं है जो मनो–सामाजिक अशक्त व्यक्तियों के चेहरे पर टकटकी लगा कर देखता है। उनका दावा है कि मनो–सामाजिक अशक्तता में साामजिक–भेदभाव, जबरन संस्थावाद तथा विधिक क्षमता के आस–पास के विषयों की श्रृंखला है, जिस पर खासतौर पर यू एन सी आर पी डी को ध्यान में रखते हुए उचित ढंग से कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

यह ज्ञात हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का नवीन मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है हालांकि मनो–सामाजिक अशक्तता वाले कार्यकर्त्ताओं ने इस तथ्य पर नाराजगी व्यक्त की है कि इसमें दिए गए विषय केवल मानसिक स्वास्थ्य के आस–पास हैं।

### (iv) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1986

अशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों को विनियमित एवं मानकीकृत करने के लिए वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन किया गया था। वर्ष 1993 में संसद के एक अधिनियम ने निम्नलिखित उद्देश्यों सहित इस परिषद के दर्जे को एक सांविधिक निकाय में विस्तृत कर दिया :–

- अशक्त व्यक्तियों के साथ कार्य करने वाले व्यावसायिकों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को मानकीकृत करना।
- अशक्त व्यक्तियों के साथ कार्य करने वाले व्यावसायिकों के विभिन्न वर्गों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना।
- पूरे देश में सभी प्रशिक्षण संस्थानों में एक समान मानकों का विनियमन करना।
- पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- व्यावसायिकों के पंजीकरण के लिए केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रख–रखाव करना।

आर सी आई, पुनर्वास कार्यकर्त्ताओं के 16 वर्गों के प्रशिक्षण मानकों को विनियमित करता है। परिषद विशेषीकृत शैक्षिक संस्थानों के साथ–साथ मुख्य धारा के शैक्षिक संस्थानों के अनुभवों का सदुपयोग करके प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के कार्यों को प्रोत्साहित करता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, कार्य के सभी पहलुओं में अशक्त व्यक्तियों के सरोकारों को एकीकृत करके अशक्त व्यक्तियों के मानव अधिकार विषयों पर ध्यान केन्द्रित करता है। आयोग ने एक व्यापक नीतिगत सोच की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए सभी स्तरों पर अशक्ता के लिए विशेष कानूनों, नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करके ढांचागत अनियमितताओं को दूर करने के उद्देश्य से कार्य करने हेतु 14 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है।

यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारत द्वारा यू एन सी आर पी डी का अनुसमर्थन किए जाने के आलोक में आर सी आई अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है। अशक्तता अधिकार कार्यकर्त्ताओं ने यह राय व्यक्त की है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि कथित परिषद के लिए इसके कार्य के सभी स्तरों पर अशक्त व्यक्तियों को शामिल करके, अन्य चीजों के साथ अशक्ता के सजीव अनुभवों की विशेषज्ञता को ध्यान में रखना अनिवार्य बनाया जा सके। उनका यह दृढ़ मत भी है कि आर सी आई अक्षरों में अशक्त व्यक्तियों के मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के विषय में व्यापक उल्लेख होना चाहिए।

## 4. अशक्तता विषयक राष्ट्रीय नीति, 2006

भारत सरकार ने शिक्षा, रोजगार, समर्थन सेवाओं, पहुंच, सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हुए अशक्ता संबंधी एक व्यापक राष्ट्रीय नीति को अंगीकृत किया है। हालांकि इस नीति को भी यू एन सी आर पी डी को ध्यान में रखते हुए व्यापक रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है। किसी तरह, कथित राष्ट्रीय नीति, अशक्त व्यक्तियों के सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों के विषय में लगभग मौन है।

दुर्भाग्यवश भारत के अधिकांश राज्यों में अब तक राज्य स्तरीय अशक्तता नीति नहीं है। हालांकि कुछ राज्य इस प्रकार की नीति को प्रारंभ करने की प्रक्रिया में लगे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अब अशक्तता संबंधी राज्य स्तरीय नीति है।

## भाग III :

### अशक्तता संबंधी अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेज/शर्तें/मानक

मानव परिवार का हिस्सा होने के नाते, अशक्त व्यक्ति भी अन्य व्यक्तियों के समान ही मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के हकदार हैं। अतः मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यू डी एच आर) आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा में उल्लिखित सभी मानव अधिकार अशक्त व्यक्तियों पर भी समान रूप से लागू हैं। इसी प्रकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन संबंधी प्रसंविदा (सी ई डी ए डब्ल्यू) अथवा उस मामले हेतु बाल अधिकारों की प्रसंविदा (सी आर सी) में उल्लिखित अधिकार भी क्रमशः अशक्तायुक्त महिलाओं एवं बच्चों पर भी लागू होते हैं।

इस भाग में, हम अशक्तता विशिष्ट नरम कानून/अबाध्यकारी मानव अधिकार दस्तावेजों पर एक झटपट एवं सरसरी नज़र डालेंगे तथा अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यू एन सी आर पी डी), जो अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर एक बाध्यकारी सख्त कानूनी दस्तावेज है, पर कुछ हद तक चर्चा करेंगे।

### (i) नरम कानून/अबाध्यकारी अशक्ता विशिष्ट मानव अधिकार दस्तावेज

अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी महत्वपूर्ण नरम कानून दस्तावेज के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :–

1. मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी घोषणा, 1971
2. अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी घोषणा, 1975
3. डब्ल्यू पी ए 1981
4. मानक नियम 1993
5. एशिया तथा प्रशांत दशक 1993–2002
6. बिवाको सहस्राब्दि फ्रेम वर्क 2003–2012
7. आई एल ओ भेदभाव (रोजगार एवं व्यवसाय) अभिसमय 1958

### (ii) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कठोर कानून/बाध्यकारी मानव अधिकार दस्तावेज

### 1. अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यू एन सी आर पी डी)

संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 13 दिसम्बर 2006 को यू एन सी आर पी डी और उसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल को सर्वसम्मति से अंगीकार किया। इस अंतरराष्ट्रीय संधि को उसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल सहित 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर हेतु खोला गया था। अक्टूबर 2007 में भारत द्वारा यू एन सी आर पी डी (तथा इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल को नहीं) का अनुसमर्थन किया गया था। यह 3 मई, 2008 से पूरे विश्व में लागू किया गया।

इस अभिसमय में अशक्त व्यक्तियों को वैसे नागरिकों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है जिनके मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएँ हैं न कि इस रूप में कि उन्हें केवल चिकित्सीय देखभाल और सामाजिक संरक्षण की जरूरत है। यह अभिसमय आगे यह स्पष्ट करता है कि अशक्तता की अवधारणा का विकास हो रहा है और अशक्त व्यक्ति मानव विविधता और मानवता का हिस्सा है। इस अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुसार अशक्तता बाधाओं के साथ दुर्बलता की परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है जिसके कारण समाज में अन्य लोगों के साथ समान रूप से भागीदारी में बाधा आती है।

यू एन.सी.आर.पी.डी. विधितः बाध्यकारी प्रपत्र है। इस अभिसमय का उद्देश्य अशक्त व्यक्तियों को अन्य लोगों के साथ समानता के आधार पर सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्पूर्ण एवं प्रभावी उपभोग का संरक्षण, संवर्द्धन और उसे सुनिश्चित करना है।

उक्त अभिसमय का अनुच्छेद 3 कुछ सामान्य सिद्धांतों की परिकल्पना करता है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः–

क. गरिमा, स्वायत्तता, अपने विकल्पों में से चयन करने की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता का सम्मान

ख. गैर–भेदभाव

ग. समाज में प्रभावी समावेश और सहभागिता

घ. अशक्त व्यक्तियों की भिन्नता और उनकी स्वीकार्यता को मानव विविधता और मानवता के रूप में सम्मान करना

च. अवसरों की समानता

छ. पहुँच

ज. पुरूषों और महिलाओं में समानता

झ. बच्चों की उभरती क्षमता और उनकी स्वयं की पहचान को बनाए रखने के अधिकार का सम्मान

उक्त अभिसमय का अनुच्छेद 4 राज्य पणधारियों को कुछ महत्वपूर्ण दायित्व सौंपता है। इन दायित्वों के अंतर्गत, राज्य पक्षकारों को अशक्त व्यक्तियों के मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं की रक्षा करने, उसे बहाल करने और उन्हें सुनिश्चित करने हेतु सभी विधायी और अन्य उपायों को अंगीकार करने का दायित्व दिया गया है, साथ ही उन्हें इस अभिसमय का उल्लंघन करने वाले सभी कानूनों, नीतियों और रिवाजों को निरस्त करने की भी जरूरत होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण दायित्व उन निजी सेवा प्रदान करने वाली इकाईयों को भी दिया गया है जो आम जनता के लिए खोली गई हैं।

अभिसमय का अनुच्छेद 5 गैर–भेदभाव का प्रावधान करता है। इसे अन्य लक्ष्यों की भाँति सकारात्मक कार्रवाई और तर्कसंगत समायोजन के सिद्धांत के समावेश से और पर्यावरण, सुविधाओं, इत्यादि के सार्वभौमिक एवं समावेशी अभिकल्प से भी प्राप्त किया जा सकता है।

यह अभिसमय लिंग और आयु के परिप्रेक्ष्य में अशक्तों के अंतर–अनुभागीय सरोकारों पर भी दृष्टिपात करता है।

अभिसमय के अनुच्छेद 6 और 7 क्रमशः अशक्त महिलाओं और बच्चों की विशेष रूप से चर्चा करते हैं।

अभिसमय का अनुच्छेद 12 अन्यों के साथ समानता के आधार पर अशक्त व्यक्तियों की विधिक क्षमता को मान्यता देता है तथा अशक्त व्यक्तियों को उनके विधिक अधिकारों का प्रयोग करने में उन्हें जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य पणधारियों को देता है।

पूर्व के लचीले विधि प्रपत्रों के विपरीत यह अभिसमय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर चर्चा करने के अतिरिक्त अशक्त व्यक्तियों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर भी व्यापक रूप से चर्चा करता है।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि यू.एन.सी.आर.पी.डी. राज्य पणधारियों को बाध्य करता है कि वे आशक्त व्यक्तियों को निर्णय प्रक्रिया विशेष रूप से उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों के संबंध मे उनसे सक्रिय रूप से विचार–विमर्श करे एवं उन्हें शामिल करे।

यह अभिसमय अशक्त व्यक्तियों के अनुभवों की सुविज्ञता से स्वयं अनुप्राणित एवं प्रभावित है। इस अभिसमय में 50 अनुच्छेद हैं।

## भाग IV :

## आंकड़े और कुछ अन्य संबंधित सूचना

1. दुर्भाग्यवश, अशक्त व्यक्तियों को प्रत्येक दस वर्ष में भारत में होने वाली जनगणना से प्रायः बाहर रखा गया है। 1981 की गणना में जहाँ उनको अपर्याप्त ढंग से समावेश किया गया तो 1991 की जनगणना में अशक्त व्यक्तियों को पूरी तरह से बाहर रखा गया। यही कारण है कि वर्ष 2001 की जनगणना से पूर्व अशक्त व्यक्तियों ने अपने आप को समूह के रूप में शामिल किए जाने की माँग शुरू कर दी जिसके फलस्वरूप अशक्त व्यक्तियों की पाँच श्रेणियों को इसमें शामिल किया गया। बहरहाल, अन्य कई अशक्तताओं से संबंधित व्यक्तियों जिनमें मानसिक और बौद्धिक अशक्तता युक्त व्यक्ति भी शामिल हैं, को पूरी तरह जनगणना से बाहर रखा गया।

अशक्तता अधिकारों को कार्यकत्ताओं ने कई अशक्तताओं को शामिल न किये जाने, अशक्त व्यक्तियों की पहचान में जनगणनकों के उचित प्रशिक्षण, नहीं देने इत्यादि सहित विभिन्न आधारों पर 2001 की जनगणना में अशक्त व्यक्तियों की संख्या को लेकर अपना कड़ा विरोध जाहिर किया। यह अत्यंत रोचक है कि यू.एस.ए., यू.के. आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कुछ विकसित देशों और हमारे कुछ पड़ोसी देशों सहित कई देशों में अशक्त व्यक्तियों का प्रतिशत भारत में जनगणना आधारित आंकड़ों से कहीं ज्यादा उच्च है।

2001 की जनगणना यह दर्शाती है कि भारत में 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग किसी न किसी प्रकार की प्रकार की अशक्तता से पीड़ित हैं। **यह कुल जनसंख्या का 2.13 प्रतिशत है।** देश में कुल अशक्त व्यक्तियों में से 1 करोड़ 26 लाख पुरूष हैं और 93 लाख महिलाएँ हैं। हाँलाकि अशक्त व्यक्तियों की संख्या गांवों एवं शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। लिंग के संबंध में गांव एवं शहरी क्षेत्रों में इनका अनुपात भिन्न है। यह अनुपात पुरूषों के लिए 57–58 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 42–43 प्रतिशत है। देश में कुल अशक्तता दर (एक लाख की जनसंख्या पर अशक्त व्यक्तियों की संख्या) 2130 है। पुरूषों के संबंध में यह 2369 तथा महिलाओं के संबंध में यह 1874 है।

अशक्तता के पाँच प्रकारों जिनके आधार पर आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, में दृष्टि आधारित अशक्तता 48.5 प्रतिशत, के साथ सबसे उच्च है। इस क्रम में अन्य इस

प्रकार हैः गतिशीलता में (27.9%) मानसिक (10.3%), वाणी (7.5%) और श्रवण (5.8%)। लिग आधार पर अशक्तों का प्रतिशत भी इसी समान है, केवल इतना अंतर है कि दृष्टि आधारित और श्रवण आधारित श्रेणी में अशक्त महिलाओं का अनुपात पुरूषों से अधिक है।

पूरे देश में अशक्तों की सबसे अधिक संख्या (30 लाख 60 हजार) उत्तर प्रदेश में है। अशक्तों की बहुत बड़ी संख्या बिहार (10 लाख 90 हजार), पश्चिम बंगाल (10 लाख 80 हजार), तमिलनाडु और महाराष्ट्र (10 लाख 60 हजार) में भी है। तमिलनाडु अकेला ऐसा राज्य है जहाँ अशक्त महिलाओं की संख्या पुरूषों से ज्यादा है। राज्यों में अरूणाचल प्रदेश में अशक्त पुरूषों (66.6%) का अनुपात सबसे अधिक और अशक्त महिलाओं का अनुपात सबसे कम है।

**तालिका : अशक्त जनसंख्या की संख्या और अशक्तता का प्रकार**

| | जनसंख्या | प्रतिशत (%) |
|---|---|---|
| कुल जनसंख्या | 1,028,610,328 | 100.0 |
| कुल अशक्त जनसंख्या | 21,906,769 | 2.1 |
| अशक्तता दर (प्रति लाख जनसंख्या पर) | 2,130 | — |
| ***अशक्तता का प्रकार*** | | |
| क. दृष्टि आधारित | 10,634,881 | 1.0 |
| ख. वाक् आधारित | 1,640,868 | 0.2 |
| ग. श्रवण आधारित | 1,261,722 | 0.1 |
| घ. गतिशीलता आधारित | 6,105,477 | 0.6 |
| च. मानसिक | 2,263,821 | 0.2 |
| *स्रोत : 2001 की भारत की जनगणना* | | |

## 2. कुछ निश्चित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आंकड़ें

### (i) गरीबी और कुपोषण

सामान्य रूप से विकासशील देशों में अनुमानतः 15 से 20 प्रतिशत गरीब अशक्त हैं (यू.एन.ई.एस.सी.ए.पी, 2002) गरीब परिवारों के पास प्रायः अपनी मूलभूत

जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं होती। अपर्याप्त आवास, अस्वच्छ जीवन परिस्थितियाँ, सफाई और स्वच्छ पेय जल की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच की कमी ये सब अशक्तता को जन्म देते हैं। यह अनुमान है कि वर्तमान में 50 करोड़ 15 लाख एशियाई पूरी तरह से अल्पपोषित हैं जो विश्व के भूखे लोगों का एक तिहाई हैं (यू.एन.ई.एस.सी.ए.पी., 2001)। सामान्य सूक्ष्म पोषण की कमी जो अशक्तता को प्रभावित करती है निम्न प्रकार हैः

- विटामिन ए की कमी – अंधापन
- विटामिन बी काम्पलेक्स की कमी – बेरी–बरी (तंत्रिकाओं, पाचन प्रणाली और हृदय की सूजन या ह्रास), पिलैग्रा (केन्द्रीय तंत्रिका प्रणाली और गैस्ट्रो इन्टेस्टिनल रोग, त्वचा की सूजन) और रक्ताल्पता
- विटामिन डी की कमी – रिकेट्स (कमजोर और विकृत हड़िडयाँ)
- आयोडीन की कमी – मंदवृद्धि, स्मरण कठिनाईयाँ, बौद्धिक अशक्तता, गलगण्ड,
- आयरन की कमी – रक्ताल्पता जिससे स्मरणशक्ति और गतिशीलता बाधित होती है और यह मातृत्व मृत्युदर का एक कारण है।
- कैल्शियम की कमी – ओस्टियोपोरोसिस (कमजोर हड्डियाँ) (ई.एस.सी.ए.पी, 2002 बी)

गरीबों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा की कमी के कारण, भारत में जन्में सभी शिशुओं में 30 प्रतिशत शिशुओं का वजन 2500 ग्राम से कम होता है, (यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित कम वजन के जन्में बच्चे का निम्न स्तर है।) इसीलिए उसके जिन्दा रहने की संभावना कम और अशक्त होने की संभावना ज्यादा होती है (भारत में स्वास्थ्य पर स्वतंत्र आयोग, 1997)

### (ii) अपराध और अशक्तता

हिंसक अपराध सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रबंधन में होने वाली कमियों को दर्शाते हैं। ऐसे अपराध लोगों में न केवल असुरक्षा और डर की भावना पैदा

करते हैं बल्कि उनको उनके जीवन और स्वतंत्रता से भी वंचित करते हैं। कई बच्चों और महिलाओं का अपहरण उनसे वेश्यावृति, गुलामी और भीख मंगवाने हेतु किया जाता है। भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक अशक्तता का खतरा कई गुणा बढ़ जाता है। अशक्तता और अपराध के बीच संबंध का विश्लेषण करने के लिए कोई भी अध्ययन उपलब्ध नहीं है। हालाँकि अपंग, दृष्टिहीन और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के भीख माँगने और आवारा घूमने का दृश्य कहीं भी देखने को मिल सकता है। दुर्भाग्य से कानून प्रवर्तन अभिकरण स्वयं भी उत्पीड़न और अमानवीय बर्ताव जैसे कृत्यों को अंजाम देते हैं जिससे पीड़ित कभी–कभी अशक्त हो जाता है।

### (iii) दुर्घटनाएँ एवं अशक्तता

केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो रिपोर्ट 1997–1998 के अनुसार सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या 69,800 थी और रेल रोड़ दुर्घटनाओं से लगभग 15,000 मौतें हुईं। इस क्षेत्र के एक विशेषज्ञ, लंदन के डॉ0 लेसल जी नोरमन के आकलन के अनुसार प्रत्येक सड़क दुर्घटना से हुई मौत में 30 से 40 हल्की चोटें होती हैं और 10 से 15 गंभीर चोटें होती है जिससे अशक्तता हो सकती है।

वाहन अभिकल्प और चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार के साथ–साथ सीट बेल्ट (कार चलाते समय) और हेल्मेट (मोटर साईकिल चलाते समय) के अनिवार्य प्रयोग संबंधी यातायात नियमों का कड़ाई से पालन तथा शराब पीने और अन्य नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध को और अधिक सख्ती से लागू करने की जरूरत है। अध्ययन बताते हैं कि वर्ष 2020 तक एशिया और पेसिफिक क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएँ अशक्तता के लिए तीसरा बड़ा कारण होंगी। क्वैडरीप्लेगिया, पैराप्लेगिया, मानसिक क्षति और व्यवहारगत दोष ऐसी दुर्घटनाओं के उत्तर जीवियों में होने वाली कुछ सामान्य अशक्तताएँ हैं।

### (iv) व्यवसाय जोखिम और अशक्तता

लाभ के अधिकतमीकरण हेतु उत्पादन इकाईयों को सामान्यतः ऐसी जगह स्थापित किया जाता है जहाँ लागत सबसे कम हो, विनियमन शिथिल हों और कामगारों की बेहतर कार्य स्थितियों और न्यायसंगत मजदूरी के लिए संगठित होने की

संभावना बहुत कम हो। ऐसे में दुर्घटनाओं की उच्च दर, टोक्सिन से जहर फैलने, बहरे और दृष्टिहीन होने और स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएँ प्रायः बढ़ जाती हैं। पत्थर खदानों, चमड़ा उद्योग, ग्लासवर्क, बुनाई, हीरा तराशी, हस्त कढ़ाई इत्यादि में नियोजित कामगारों की व्यवसाय–संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं; और कालीन, पटाखे और माचिस उद्योग में नियोजित कार्यरत बच्चों पर उचित और सतत् ध्यान नहीं दिया गया हैं क्योंकि निगमों और कार्य मानकों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों दोनों द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य को महत्व नहीं दिया गया है। इसी प्रकार गरीब किसान और कृषक मजदूर अशक्तता के शिकार हो सकते हैं क्योंकि वे ज्यादा घंटों तक धूप, धूल और धुएँ में काम करते हैं।

अंग कटना, मासपेशियों से जुड़ी बीमारियाँ और रीढ़ की हड्डी की चोटें कृषि गत गतिविधियों से जुड़े कुछ सामान्य जोखिम हैं। कृषि में मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। बहरहाल, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में समानांतर सुधार नहीं हो रहे हैं।

### (v) अशक्तों को रोजगार

विश्व की समस्त सरकारों का लक्ष्य लाभकारी रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। किसी भी देश का विकास सूचकांक उस देश में रोजगार का सूचक होता है। विकसित देशों को विकासशील देशों से जो अलग बनाती है वह यह है कि विकसित देशों में यथासंभव बेरोजगारी को कम से कम रखने की क्षमता होती है जबकि दूसरी ओर वे ऐसे वृद्धि स्तर को बनाए रखते हैं जिससे युवा वयस्कों की रोजगार की जरूरतों का ध्यान रखा जा सके।

### (vi) शिक्षा

बधिरों के लिए पहला स्कूल वर्ष 1884 में मुम्बई में और दृष्टिहीनों के लिए वर्ष 1887 में अमृतसर में स्थापित किया गया। तब से लेकर अब तक हम शिक्षा संबंधी ढाँचे को इतना विकसित नहीं कर पाए हैं कि वह अशक्त बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सके। जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से 80% अशिक्षित रह जाते हैं और जिन्हें मौलिक साक्षरता कौशल भी नहीं मिल पाता। 1991 में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में

43% अशक्त हों चुके हैं। इससे हमारी शिक्षा प्रणाली की अपर्याप्तता का पता चलता है। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे संगठन 1991 ने दृष्टिहीन, बधिर, मूक और स्वाभाविक रूप से चलने फिरने में असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा की दर 42% दर्ज की हैं। यदि मानसिक रूप से अवरूद्ध और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की 3 प्रतिशत जनसंख्या को 1. 9 प्रतिशत अन्य चार अशक्तताओं में शामिल किया जाए तो 42 प्रतिशत समावेशन का यह प्रतिशत नीचे आकर लगभग 20 प्रतिशत वस्तुतः उससे भी नीचे रह जाएगा।

### (vii) उल्लंघनों का प्रकार

अच्छे विधिक ढाँचे और कार्यक्रमों, योजनाओं, नियमों, विनियमों इत्यादि के आधिक्य के बावजूद अशक्त व्यक्तियों की परिस्थितियों में तद्नुरूप सुधार नहीं हुआ है। अशक्त व्यक्तियों में निरक्षरता, बेरोजगारी और गरीबी की दर बहुत अधिक है।

हालाँकि कानून की यह माँग है कि बाधा–रहित सुविधाओं का सृजन किया जाए लेकिन परिवहन, भवनों और सूचना पद्धति को अभी भी पुराने मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारों और पंचायतों ने विभिन्न कानूनों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाई जिससे केन्द्र सरकार द्वारा कई योजनाओं के अंतर्गत दी गई निधियाँ अनुप्रयुक्त रह गई हैं। भर्ती नियमावली और सेवा विनियम में मौजूद प्रावधान अभी भी भेदभावमूलक है। न्यायालय के हस्तक्षेप से इनमें कुछ सुधार किए जा सकते हैं। अशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के पास प्राप्त शिकायतों में पचपन प्रतिशत शिकायतें सेवा मामलों से जुड़ी हैं।

इसी प्रकार शिक्षा के रास्ते में आनेवाली बाधाओं की जड़े बहुत गहरी हैं। शिक्षा संस्थानों में 3% सीटों के आरक्षण के अनिवार्य प्रावधानों के बावजूद बहुत से संस्थानों ने विद्यार्थियों को उनकी अशक्तता के आधार पर दाखिला देने से इंकार किया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने रेखा त्यागी बनाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य के मामले में अपने फैसले में अशक्तता अधिनियम, 1995 की धारा 39 के अनुरूप अकादमिक संस्थानों को 3% सीटें अशक्त विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा है।

घोषणाओं, संकल्पों, सिद्धांतों, दिशा–निर्देशों और नियमों जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रपत्र तकनीकी रूप से विधितः बाध्यकारी नहीं है। वे सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांतों तथा राज्यों के इनके प्रति नैतिक और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को अभिव्यक्त करते हैं। उन्हें, अशक्त व्यक्तियों से संबंधित विधानों को अधिनियमित करने और नीतियों को तैयार करने में राज्यों हेतु दिशा–निर्देशों के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।

विश्व सम्मेलनों और विचार–गोष्ठियों में पारित दस्तावेजों जैसे सामान्य नीति प्रपत्र अशक्तों पर लागू हैं। उदाहरण के लिए इन प्रपत्रों में कॉपनहेगन घोषणा और सामाजिक विकास हेतु विश्व सम्मेलन में अंगीकृत कार्यक्रम योजना (6 से 12 मार्च 1995) और सितम्बर, 2000 में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी सम्मेलन में अंगीकृत सहस्त्राब्दी घोषणा और सहस्त्राब्दी विकास उद्देश्य शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अशक्तता संबंधी कई गैर– बाध्यकारी अंतराष्ट्रीय प्रपत्रों को अंगीकृत किया गया है। इन प्रपत्रों में निम्नलिखित शामिल हैः–

- मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा
- अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा
- अशक्त व्यक्तियों से संबद्ध विश्व कार्यक्रम योजना
- अशक्तता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास संबंधी तल्लिन दिशा–निर्देश
- मानसिक रोगियों के संरक्षण हेतु सिद्धांत और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार
- अशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसरों संबंधी मानक नियमावली
- अशक्तों के व्यावसायिक पुनर्वास संबंधी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की संस्तुतियाँ
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की व्यावसायिक पुनर्वास और रोजगार (अशक्त व्यक्तियों के लिए) संबंधी संस्तुतियाँ

## भाग V :
## भारत में अशक्तता अधिकारों से संबंधित आंदोलन – संक्षिप्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

स्वतंत्रता पूर्व युग में, अशक्तता से संबंधित कार्यों को भारत में धर्मार्थ के रूप में देखा जाता था या ज्यादा से ज्यादा ये कल्याण आधारित था। अशक्त व्यक्तियों के लिए कुछ संस्थानों और गृहों की स्थापना की गई जिसमें ऐसे व्यक्तियों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण, शिक्षा, और/या आवासीय रोजगार मुहैया कराने की कोशिश की गई।

स्वतंत्रता पश्चात् अवधि में पहले–पहल अशक्त व्यक्तियों के लिए संगठनों का उदय हुआ। संयोग से अशक्ततों हेतु और अशक्ततों के संगठनों के आदर्शों में व्यापक अंतर है। ये संगठन मुख्य रूप से एक विशेष अशक्तता संगठनों के रूप में मौजूद है जिसका अभिप्राय है कि वे एक निश्चित वर्ग की अशक्तता से संबंधित व्यक्तियों के हितों का मुख्य रूप से संवर्द्धन करने के लिए कार्य कर रहे थे।

पिछली सदी के 60 के दशक के उत्तरार्द्ध में तथा 70 के पूर्वार्द्ध में अशक्तों के कुछ विशिष्ट वर्गों से संबंधित संगठनों का उदय हुआ।

अशक्त व्यक्तियों के लिए बने संगठनों का प्रबंधन, संचालन, नियंत्रण और प्रतिनिधित्व या तो गैर–अशक्त द्वारा अथवा अशक्त एवं गैर–अशक्त दोनों द्वारा किया जाता है; जबकि अशक्त व्यक्तियों के संगठनों का प्रबंधन, संचालन, नियंत्रण और प्रतिनिधित्व अशक्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

दूसरे शब्दों में ये संगठन अशक्तों के, अशक्तों के लिए तथा अशक्तों द्वारा बनाए गए संगठन हैं।

80 के दशक के अंतिम वर्षों और 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में संकर–अशक्तता संगठनों का उदय हुआ लेकिन मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में केंद्रित थे तथा उनका प्रतिनिधित्व अशक्तों में तथाकथित नवोन्नत वर्ग ने किया।

वर्तमान सदी में गरीब अशक्तों के आंदोलन का उदय मुख्य रूप से ग्रामीण या अर्ध–ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। विक्लांग मंच के बैनर तले इस आंदोलन को धीरे–धीरे गति मिल रही है। वर्तमान में ऐसे विक्लांग मंच देश के लगभग दस या ग्यारह राज्यों में चल रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि इनको राष्ट्रीय विक्लांग मंच के बैनर के अंतर्गत शामिल किया जाए।

जबकि यह उपयुक्त एवं वांछनीय दोनों ही होगा कि अशक्त व्यक्ति अपने हितों के लिए स्वयं अपनी आवाज उठाएँ क्योंकि वे अशक्त जीवन के संबंध में ज्यादा जानकारी रखते हैं। यह भी सत्य है कि अन्य सभी कमजोर और उपेक्षित समूहों की भांति उन्हें व्यापक सिविल समाज से सक्रिय सहयोग और समर्थन की जरूरत है। इस अर्थ में अशक्त व्यक्तियों के लिए गठित संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए इन संगठनों के योगदान को अवश्य सराहा जाना चाहिए। यह वांछनीय है कि अशक्त व्यक्तियों के लिए गठित संगठनों को अशक्त व्यक्तियों के संगठनों को बढ़ावा देने और उन्हें सुदृढ़ करने में भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

## भाग VI

## रा.मा.अ. आयोग के अंतःक्षेपों और अशक्तता संबंधी कार्य में भावी निर्देशों का सार

- आयोग ब्रेल पुस्तकों के प्रकाशन को निरंतर बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2005–2006 में आयोग के माननीय अध्यक्ष ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ राज्य प्रशासकों को विशेष रूप से यह संस्तुति की है कि सामान्य पुस्तकों के प्रकाशन के साथ–साथ ब्रेल में भी पुस्तकों का प्रकाशन होना चाहिए।
- अशक्तता और कानून पर एक न्यायिक परिसंवाद का आयोजन नई दिल्ली में दिसम्बर, 2005 में किया गया। उक्त परिसंवाद में हुए विचार–विमर्श से उभरे सुझाव निम्नलिखित हैः
  - ऐसे परिसंवादों का आयोजन राज्य स्तर पर भी किया जाना चाहिए ताकि निचली न्यायालयों के सदस्यों को भी संवेदनशील किया जा सके।
  - ऐसे परिसंवादों को नियमित अंतराल पर आयोजित किया जाना चाहिए ताकि विचार–विमर्श और सूचना के आदान–प्रदान की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। उच्च न्यायालयों के पंजीयकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं कि ऐसे परिसंवादों को सभी उच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए भी आयोजित किया जाना चाहिए।

अंततः न्यायाधीशों ने यह अभिव्यक्त किया कि इस परिसंवाद के माध्यम से दलितों और अशक्तों के मामलों के प्रति वे और अधिक संवेदनशील महसूस करते हैं।

- 26 मई, 2006 को हुई बैठक में आयोग ने ''बधिर बच्चों हेतु आम चिह्न भाषा'' नामक एक परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया।
- 12 सितम्बर, 2007 को गैर–सरकारी संगठनों के कोर समूह की बैठक में यह सुझाव दिया गया किः–

(i) अशक्तों की पहचान हेतु पंचायतों और सिविल समाज को शामिल करना।

(ii) आयोग अशक्तता पर एक सम्मेलन का आयोजन करने पर भी विचार कर सकता है; गरीबों में अशक्त व्यक्तियों पर ध्यान देने की जरूरत है; उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए लोक अदालतों की भाँति अशक्तता अदालतों का आयोजन करने की जरूरत है।

(iii) अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर जन जागरूकता फैलाना।

बैंकों, ट्रेनों, बसों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर विक्लागों की पहुँच पर बल दिया गया और सभी लम्बी दूरी की ट्रेनों में अशक्तों के लिए प्रसाधन सुविधाओं की कमी पाई गई।

➢ **चिह्न भाषा पर**

आयोग बधिर व्यक्तियों के प्रति होने वाले भेदभाव के प्रति अत्यन्त चिंतित है, क्योंकि बधिर बच्चे सामान्य रूप से चिह्न भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त नहीं करते। इसका कारण देश में बच्चों को लक्षित करने वाली चिह्न भाषा की अनुपलब्धता और बधिरों हेतु अध्यापकों के शिक्षण कार्यक्रम से चिह्न भाषा का प्रशिक्षण न होना है।

सामान्य चिह्न भाषा के उद्देश्य से आयोग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता, मंत्रालय, अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप्ड (ए.वाई.जे.एन. आई.एच.एच.) भारतीय पुनर्वास परिषद्, ब्रिटिश काउंसिल, जे.एन.यू. और गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के सहयोग से 18 से 19 अक्तूबर, 2004 के दौरान आयोग में एक परामर्शी बैठक का आयोजन किया। व्यापक विचार–विमर्श और आयोग द्वारा आयोजित कई बैठकों के पश्चात् ''इडियन साईन लैंग्वेज फोर डेफ पर्सन्स'' नामक एक परियोजना का विकास किया गया। इस परियोजना में आयोग की भूमिका सहायक की है।

तब से अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप्ड (ए.वाई.जे.एन.आई. एच.एच.) ने एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें इस परियोजना के अंतर्गत तैयार माड्यूल को प्रस्तुत किया गया। आयोग ने ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच. को इस प्रयास में सभी पणधारियों को शामिल करने का आग्रह किया।

➢ आयोग ने **अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय के मसौदे** को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई और राष्ट्रीय कार्यान्वयन और अनुवीक्षण तंत्र से संबंधित अनुच्छेद 33 को इसमें शामिल करने के लिए पक्ष समर्थन किया। इसके पश्चात् आयोग ने भारत सरकार को इसके तत्काल अनुसमर्थन के लिए आग्रह किया जिससे अक्तूबर, 2007 में इसका अनुसमर्थन हो सका।

➢ अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में आयोग ने **अशक्तता संबंधी मामलों पर विशेष सम्पर्ककर्त्ता** की नियुक्ति की तथा **अशक्तता पर कोर समूह** का गठन भी किया।

अशक्तता संबंधी कोर समूह में निम्न विचारार्थ विषय हैः–

1. भारतीय संविधान एवं कानूनों में अशक्त व्यक्तियों के लिए उल्लिखित अधिकारों के संवर्द्धन, संरक्षण और अनुवीक्षण और अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुच्छेद 33(2) में निहित अधिकारों से संबंधित और प्रासंगिक मामलों में आयोग को सलाह देना।

2. प्राथमिक पणधारियों और अन्य पणधारियों, जो अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, की क्षमता निर्माण में आयोग का समर्थन करना और आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों का अनुवीक्षण करना।

3. केन्द्र और राज्यों द्वारा स्थापित फोकल बिन्दुओं/समन्वय तंत्र के संचालन का अध्ययन करना और आयोग को बेहतर प्रभावोत्पादकता हेतु सुधारों का सुझाव देना।

4. अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को आयोग की जानकारी में लाना।

5. अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करने और अनुसमर्थन करने से भारतीय कानूनों और नीतियों में किए जाने वाले बदलावों के बारे में आयोग को सुझाव देना ताकि आयोग उनके संबंध में सरकार को संस्तुतियाँ कर सके।

➢ सी.आर.पी.डी. के अनुच्छेद 33 में परिकल्पित इसकी भूमिका के आलोक में आयोग ने विशेषरूप से शिक्षा, रोजगार, पहुँच एवं सेवाओं के संबंध में अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों का अनुवीक्षण करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में **वर्ष 2008–09 के दौरान पाँच क्षेत्रीय कार्यशालाओं** का आयोजन किया।

**क्षेत्रीय कार्यशालाओं का उद्देश्य :**

1. यह आकलन करना कि क्या अशक्तों हेतु मौजूदा कार्यक्रम और नीतियों का अपेक्षित प्रभाव पड़ रहा है या नहीं और इनके कार्यान्वयन में आने वाली कमियों, यदि कोई हो, की पहचान करना और इनसे निपटने के लिए उपयुक्त रणनीति का सुझाव देना।

2. आयोग अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के प्रावधानों के संबंध में सभी पणधारियों को संवेदनशील करने के लिए प्रस्ताव करता है।

3. आयोग का शिक्षा, रोजगार, पहुँच और सेवाओं जैसे चार क्षेत्रों में कार्य करने का प्रस्ताव है जिससे राज्यवार प्रगति और इन क्षेत्रों में किए गए नए पदाक्षेपों का पता लगाया जा सके एवं अनुवीक्षण (प्रत्यक्ष और वित्तीय) किया जा सके।

4. राज्य मानव अधिकार आयोग और गैर–सरकारी संगठनों की सहभागिता से रणनीति तैयार करना ताकि शिक्षा, रोजगार, पहुँच और अशक्त व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी की जा सके।

आयोग ने अशक्त व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा, रोजगार, पहुँच और सेवाओं के अधिकार से संबंधित विस्तृत सूचना एकत्रित करने के लिए एक प्रारूप तैयार किया है।

**वर्ष 2008–2009 के दौरान आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:–**

| क्रम सं. | क्षेत्र | कार्याशाला का स्थान | वह संस्थान जिसके सहयोग से आयोजन किया गया |
|---|---|---|---|
| 1. | **उत्तरी क्षेत्र** (जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, चंडीगढ़) | देहरादून | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विसूअली हैंडिकैप्ड, देहरादून |
| 2. | **पश्चिमी क्षेत्र** (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गोवा, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली) | नासिक / नागपुर | आई.एल.एस. लॉ कालेज, पुणे |
| 3. | **दक्षिणी क्षेत्र** (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, अंडमान एवं नीकोबार) | बेलगांव / हसन | नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, यूनीवर्सिटी, बेंगलुरू |
| 4. | **पूर्वी क्षेत्र** बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ | रांची / सिलीगुड़ी | वेस्ट बंगाल, नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ ज्यूडीशियल सांइसिस, कोलकाता |
| 5. | **उत्तर–पूर्वी क्षेत्र** असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम) | इम्फाल | मणिपुर राज्य मानव अधिकार आयोग |

अशक्तता संबंधी मामलों के संबंध में आयोग ने जिन मामलों में हाल ही में अंतःक्षेप किया है उनका विवरण निम्न प्रकार है:

1. अशक्त व्यक्तियों संबंधी मौजूदा कानून के स्थान पर एक नए कानून को लाने के संबंध में आयोग ने भारत सरकार को कुछ मुख्य संस्तुतियाँ की हैं। ये संस्तुतियाँ मुख्य रूप से यू.एन.सी.आर.पी.डी. पर भारत के अनुसमर्थन को देखते हुए की गई हैं।

2. आयोग ने दृष्टिहीन अशक्तों और पढ़ने में अशक्त लोगों के मामलों का समाधान करने के लिए कॉपी राईट अधिनियम, 1957 में संशोधन के संबंध में भी भारत सरकार को उपयुक्त संस्तुतियाँ की हैं।

3. अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी मौजूदा पुस्तिका के अद्ययतनीकृत पाठ का प्रकाशन भी इस क्षेत्र से संबद्ध पणधारियों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।

4. आयोग भारत सरकार को यू.एन.सी.आर.पी.डी. के वैकल्पिक प्रोटोकॉल को अनुसमर्थित करने के लिए संस्तुति देने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

5. आयोग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को इस संबंध में यह जानकारी माँगते हुए लिखा है कि क्या यू.एन.सी.आर.पी.डी. के कार्यान्वयन की प्रगति पर देश की पहली कंट्री रिपोर्ट तैयार करने में अशक्त व्यक्तियों से विचार–विमर्श किया जा रहा है और उन्हें सक्रिय रूप से इसमें शामिल किया जा रहा है या नहीं।

6. आयोग मौजूदा अशक्तता अधिनियम को कुछ राज्यों में कार्यान्वित करने में आने वाली कमियों की पहचान करने पर विचार कर रहा है।

7. आयोग यू.एन.सी.आर.पी.डी. के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की समीक्षा हेतु अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर एक राष्ट्रीय बैठक का आयोजन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को इस बैठक में अपना प्रतिनिधित्व करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

8. प्रत्येक वर्ष आयोग में अंतःशिक्षुता में भाग लेने वाले अंतःशिक्षुओं को भी अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के मामलों पर संवेदनशील किया जाता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि वकीलों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं इत्यादि की भावी पीढ़ी अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति उन्मुख हो सकें।

## भावी निदेश

भारत के अशक्तता संबंधी विधानों और यू.एन.सी.आर.पी.डी. जिसका भारत भी एक पक्षकार है, में निहित अशक्तों के मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण और संवर्द्धन के अनुवीक्षण कार्य आयोग द्वारा भविष्य में अशक्तता के संबंध में किए जाने वाले कार्यों का केन्द्र बिन्दु रहेगा। इसके कार्य में निम्नलिखित कार्य भी शामिल होंगेः—

क. मौजूदा संबंधित कानूनों और नीतियों में संशोधन हेतु संस्तुतियों करना।

ख. प्राथमिक पणधारियों और अशक्त व्यक्तियों के मानव अधिकारों संबंधी राजनीतिक महत्ता रखने वाले विशिष्ट पणधारियों का भी क्षमता निर्माण करना

ग. आम जनता में अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना।

घ. अशक्त व्यक्तियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों/शिकायतों का संज्ञान लेना।

***

**राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग**
फरीदकोट हाउस,
कॉपरनिक्स मार्ग,
नई दिल्ली–110001

सुविधा केन्द्र (मदद) : 011–23385368
मोबाइल नं: 9810298900 (शिकायत के लिए)

फैक्स : (011) : 23386521 (शिकायतें) 23384863 (प्रशासन) /
23382734 (जांच–पड़ताल)
ईमेल: covdnhrc@nic.in (General) / jrlaw@nic.in (Complaints)
वेबसाईट: www.nhrc.nic.in

# अपने अधिकार जानें

## अशक्त व्यक्तियों के अधिकार